अपील क्रमाँक ए–69/रासूआ/06/10–3/जबलपुर/06

श्री सुधीर कमल
कार्यपालन यंत्री–म.प्र.पूर्व क्षेत्र विद्युत वित.कं0लि0,जबलपुर
अपीलकर्ता

विरूद्ध
कार्यपालन यंत्री,
म.प्र.पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लि.–रीवा
अपीलीय अधिकारी

आदेश

(दिनांक 12 जून, 2006)

यह अपील श्री सुधीर कमल ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत प्रस्तुत की है । अपीलकर्ता आवेदक द्वारा दि0 14.10.05 को एक आवेदन पत्र लोक सूचना अधिकारी एवं कार्यपालन यंत्री (दक्षिण),म0प्र.पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमि0,रीवा को निम्नलिखित सूचना प्राप्त करने के लिए दिया था :–

''आपके कार्यालय से 10855 दिनांक 29.3.04 से एक पत्र कार्यपालन यंत्री एवं सदस्य सचिव क्रय समिति,कार्यालय अधीक्षण यंत्री (रीवा वृत) म.प्र.वि0 मंडल,रीवा को लिखा गया था । इस पत्र की प्राप्ति मेरे द्वारा की गई थी । कृपया उपरोक्त पत्र की एवं पावती की सत्यापित छायाप्रति उपलब्ध करावें । ''

2. लोक सूचना अधिकारी द्वारा निर्धारित 30 दिन की समय–सीमा के अंदर मांगी गई सूचना अपीलकर्ता आवेदक को न देने के कारण अपीलकर्ता आवेदक ने एक अपील प्रथम अपीलीय अधिकारी के समक्ष दिनांक 16.11.05 को प्रस्तुत की थी । प्रथम अपीलीय अधिकारी ने अपने आदेश दिनांक 9.12.05 द्वारा मांगी गई सूचना की प्रार्थना को अस्वीकार किया है और यह उल्लेखित किया है कि जिस पत्र की प्रति मांगी गई थी, उसमें अपीलकर्ता आवेदक के विरूद्ध अतिरिक्त सचिव (कार्मिक) के यहां कार्यवाही चल रही है, ऐसी स्थिति में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 8 (1) (एच) के अंतर्गत यह जानकारी अपीलकर्ता को उपलब्ध नहीं कराई जा सकती है । अपीलकर्ता आवेदक ने इसी आदेश से असंतुष्ट होकर यह अपील प्रस्तुत की है ।

3. अपीलकर्ता ने प्रथम अपीलीय अधिकारी के निर्णय को चुनौती दी है । उसने यह प्रश्न उठाया है कि अधिनियम की धारा 8 क्या ऐसे दस्तावेज़ों के प्रगटन को प्रतिबंधित करती है जो किसी के जीवन/नौकरी अथवा प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए

आवश्यक हैं । उसका यह भी कहना है कि यह दस्तावेज़ जिनका प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से एफ.आई.आर. तथा इस विभागीय जांच से दूर–दूर तक संबंध नहीं है, अधिनियम की धारा 8 के अंतर्गत प्रदान नहीं किये जा रहे हैं । इन दस्तावेज़ों की आवश्यकता उसको अपनी विभागीय जांच के प्रकरण में बचाव के लिए चाहिए । उसका यह भी कहना है कि इस प्रकरण में अधिनियम की धारा 8 (1) (एच) के प्रावधान लागू नहीं होते हैं ।

4. इस प्रकरण में लोक सूचना अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी को उपस्थित होने के लिए नोटिस दिया गया था । अपीलीय अधिकारी ने अपने पत्र दिनांक 10.4.06 के माध्यम से यह सूचित किया है कि अपीलकर्ता आवेदक के विरूद्ध अतिरिक्त सचिव (कार्मिक) के यहां विभागीय जांच की कार्यवाही चल रही है जिसमें सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 8 (1) के तहत संबंधित जानकारी/दस्तावेज़ उपलब्ध कराने का प्रावधान नहीं है, इसलिए यह दस्तावेज़ अपीलकर्ता को प्रस्तुत नहीं कराया गया है और उन्हें इस बात की सूचना दिनांक 9.12.05 को दी जा चुकी है । प्रथम अपीलीय अधिकारी ने अपने निर्णय की सहायता में श्री रावेंद्र मिश्र,एडवोकेट की राय भी संलग्न की है जिसमें उनका मत है कि अपीलकर्ता आवेदक के विरूद्ध किसी अपराध को लेकर अपराधिक प्रकरण लंबित है, अतः उक्त अपराधिक प्रकरण के लंबित रहने के कारण वांछित दस्तावेज़ से अपराधिक प्रकरण पर प्रभाव पड़ने की संभावना है, ऐसी स्थिति में सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 8 (1) (एच) के अंतर्गत अपीलकर्ता आवेदक को ऐसे दस्तावेज़ों को प्रदान करने के लिए बाध्य नहीं है । उन्होंने यह भी राय दी है कि यदि मांगा गया पत्र आवेदक अपीलकर्ता के विचाराधीन प्रकरण से संबंध रखता है तो उसकी प्रति दिए जाने पर अपराधिक प्रकरण अभियोजन के प्रक्रम में बाधक बन सकती है ।

5. इस प्रकरण में लोक सूचना अधिकारी एवं अपीलकर्ता अधिकारी को दिनांक 5 जून 2006 को सुनवाई के लिए नोटिस दिया गया था । उक्त दिनांक को न तो लोक सूचना अधिकारी उपस्थित हुए और न ही प्रथम अपीलीय अधिकारी उपस्थित हुए । अपीलकर्ता आवेदक उपस्थित हुए और उन्हें सुना गया ।

6. लोक सूचना अधिकारी या अपीलीय अधिकारी ने केवल अधिनियम की धारा 8 (1) (एच) का सहारा लेकर के अपीलकर्ता आवेदक को मांगे गए पत्र की प्रति एवं पावती देने से इंकार किया है जिसका मुझे कोई औचित्य नहीं दिखता है । लोक सूचना अधिकारी या अपीलीय अधिकारी ने यह कहीं नहीं दर्शाया है कि अपीलकर्ता के विरूद्ध किसी प्रकरण में एफ.आई.आर. दर्ज हुई है और यदि दर्ज हुई है तो उस एफ. आई.आर. का विवरण उन्हें देना चाहिए था । अधिनियम की धारा 8 (1) (एच) के तहत केवल उन्हीं दस्तावेज़ों के संबंध में छूट प्राप्त हो सकती है, जिसका सीधा संबंध किसी प्रकरण की जांच, किसी अपराधी के पकड़े जाने या अभियोजन से सीधे तौर से संबंधित हो । अपीलकर्ता अधिकारी या लोक सूचना अधिकारी ने यह कहीं पर भी नहीं दर्शाया है कि जिस दस्तावेज़ की प्रति देने से उन्होंने इंकार किया है,वह किसी भी प्रकार से

इस प्रकार के किसी प्रकरण से संबंधित है । ऐसी स्थिति में अपील अधिकारी का आदेश त्रुटिपूर्ण है और उसे निरस्त किया जाता है । लोक सूचना अधिकारी एवं अपील अधिकारी को यह निर्देश दिए जाते हैं कि वे इस आदेश के 15 दिनों के अंदर अपीलकर्ता आवेदक को उन्हें मांगी गई सूचना की प्रति प्रेषित करके इस आयोग को सूचित करें ।

(टी0एन0श्रीवास्तव)
मुख्य सूचना आयुक्त
12 जून, 2006